संख्या–वे0आ0–2–306 बी/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2013

विषय– वेतन समिति (2008) के बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थानीय निकायों के सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थानीय निकायों के सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुए अगले प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

राजकीय विभागों के समूह–घ के पदों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों को, जिला पंचायत के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिये अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–51/दस–59(एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 12 जनवरी 2011 द्वारा लागू किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप इन संस्थाओं में उक्त श्रेणी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800 अनुमन्य कराया जा चुका है। अतः इन पदों के सम्बन्ध में अलग से विचार किये जाने की अब आवश्यकता नही रह गयी है।

(2) कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद

(i) कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों की श्रेणी के ग्रेड वेतन रू0 1800 के पदों पर भर्ती हेतु वर्तमान में विद्यमान शैक्षिक एवं प्राविधिक अर्हता के स्थान पर कक्षा–8 तथा आई0टी0आई0 का सम्बन्धित क्षेत्र का प्रमाण पत्र की अर्हता निर्धारित की जाय।

उक्त श्रेणी के ऐसे प्राविधिक पद जिसके द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्यों के विषय से सम्बन्धित ट्रेड आई0टी0आई0 /शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष संस्थाओं में न हो, ऐसे पदों पर नियुक्तियों के लिये भारत सरकार द्वारा SKILL DEVELOPMENT INITIATIVE SCHEME(SDIS) BASED ON MODULAR

EMPLOYABLE SKILLS (MES) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त होने की अर्हता निर्धारित की जाय।

(ii) उक्त श्रेणी के ऐसे पद जिन पर वर्तमान में सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल एवं आई0टी0आई0/समकक्ष संस्था का एक वर्षीय प्रमाण पत्र निर्धारित है अथवा इन पदों पर ग्रेड वेतन रू0 1800 के पदधारकों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था है, उन्हें ग्रेड वेतन रू0 1900 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराते हुए भविष्य में इनके 50 प्रतिशत पदों को उक्त अर्हताधारियों से सीधी भर्ती द्वारा शेष 50 प्रतिशत पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले ग्रेड वेतन रू0 1800 के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(iii) उक्त श्रेणी के ऐसे पद जिन पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल एवं आई0टी0आई0/समकक्ष संस्था का दो वर्षीय प्रमाण पत्र तथा सम्बन्धित क्षेत्र न्यूनतम् एक वर्ष का अनुभव निर्धारित है और जिनके कार्य/दायित्व में पर्यवेक्षीय कार्य सम्मिलित हों अथवा ग्रेड वेतन रू0 1900 के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था हो, ऐसे पदों पर ग्रेड वेतन रू0 2400 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराते हुए भविष्य में इन पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले ग्रेड वेतन रू0 1900 के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाय। यह भी प्राविधान किया जाय कि पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता पर इन पदों को हाईस्कूल एवं आई0टी0आई0/समकक्ष संस्था का दो वर्षीय प्रमाण पत्र तथा सम्बन्धित क्षेत्र का न्यूनतम् एक वर्ष का अनुभव रखने वाले अर्हताधारियों से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

(iv) उक्त श्रेणी के ऐसे पद जो मूलतः पर्यवेक्षीय पद हैं और जिन्हें ग्रेड वेतन रू0 2400 के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित है अथवा सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट तथा दो वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा तथा सम्बन्धित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव निर्धारित है उन पदों पर ग्रेड वेतन रू0 2800 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(v) जिला पंचायतों में उपर्युक्त पुनर्गठन का लाभ इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय/संस्था का होगा।

(3) अवर अभियन्ता संवर्ग

जिला पंचायत के अवर अभियन्ता पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य कराया जा चुका है। अतः इनके सम्बन्ध में अलग से किसी संस्तुति की आवश्यकता नहीं है।

(4) वाहन चालक संवर्ग

जिला पंचायतों में उपलब्ध वाहन चालक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन, राजकीय विभागों के लिये शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–652/दस–2012–54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 31 जनवरी, 2013 की व्यवस्था के सादृश्य, करते हुए पदों के पदनाम, वेतनमान, भर्ती हेतु अर्हता एवं संवर्गीय ढ़ॉचा इस प्रतिबन्ध के अधीन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय/संस्था का होगा।

(5) लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग

जिला पंचायतों के लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग हेतु निम्न व्यवस्था लागू करने का निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ लिया जाय कि उक्त के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय–भार को सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे :—

अ– लेखा संवर्ग–

(i) सहायक लेखकार के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) यथावत बनाये रखा जाय। उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता, स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की व्यवस्था की जाय।

(ii) लेखाकार के पदों पर आने के लिये प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने सम्बन्धी शर्त को समाप्त कर दिया जाय। अन्य व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाय।

(iii) लेखा संवर्ग में वरिष्ठ लेखाकार का स्तर समाप्त कर दिया जाय।

(iv) सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के कुल पदों को 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए कमशः सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की संख्या चिन्हित की जाय।

(v) सहायक लेखाधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतनमान रू0 7450–11500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(vi) अधीनस्थ लेखा संवर्ग के ढ़ॉचे में सहायक लेखाकार, लेखाकार तथा सहायक लेखाधिकारी के पदों को रखते हुए त्रिस्तरीय ढ़ॉचा

निर्धारित किया जाय।

(vii) लेखा संवर्ग का ढ़ॉचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रकिया) निम्नानुसार रखा जाय :—

क0 सं0	पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता/भर्ती की प्रकिया
(1)	(2)	(3)
1	सहायक लेखाकार*/ वेतन बैण्ड–1 (रू0 5200–20200) एवं रू0 2800/–	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती–स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा की अर्हता धारियों से।
2	लेखाकार*/ वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं रू0 4200/–	03 वर्ष की सेवा वाले सहायक लेखाकार के पदधारकों में से शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
3	सहायक लेखाधिकारी/ वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं रू0 4800/–	विभिन्न विभागों के लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से उनके पदों की संख्या के अनुपात में निर्धारित कोटे के आधार पर शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

* सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की कुल संख्या 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए उक्त पदों की संख्या चिन्हित की जाय।

ब– लेखा परीक्षा संवर्ग

(i) लेखा परीक्षक के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) यथावत बनाये रखा जाय। उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता, स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा, के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की व्यवस्था की जाय।

(ii) वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर आने के लिए प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने सम्बन्धी शर्त को समाप्त कर दिया जाय। अन्य व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाय।

(iii) लेखा परीक्षा संवर्ग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 का स्तर समाप्त कर दिया जाय।

(iv) अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के ढ़ॉचे में लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक का द्विस्तरीय ढ़ॉचा निर्धारित किया जाय।

(v) लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक के कुल पदों को 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए कमशः लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की संख्या चिन्हित की जाय।

(vi) विभिन्न निकायों में अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग का ढ़ॉचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रकिया) निम्नानुसार निर्धारित किया जाय :—

क0 सं0	पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	अर्हता/भर्ती की प्रकिया
(1)	(2)	(3)
1	लेखा परीक्षक*/ वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं 2800/–	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती–स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा की अर्हता धारियों से।
2	वरिष्ठ लेखा परीक्षक*/ वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं 4200/–	03 वर्ष की सेवा वाले लेखा परीक्षक के पदधारकों में से शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

* लेखा परीक्षक एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की कुल संख्या 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए उक्त पदों की संख्या चिन्हित की जाय।

(6) लिपिकीय संवर्ग

(अ) जिला पंचायतों के लिपिकीय संवर्ग का चार स्तरीय ढ़ॉचा निम्नानुसार इस प्रतिबन्ध के अधीन लागू किया जाय कि इन पदों को भरे जाने की व्यवस्था तालिका के नीचे उल्लिखित प्रकिया के अनुसार निर्धारित की जायेगी :—

क0 सं0	वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था	
	पदनाम	वेतनमान	पदनाम	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लिपिक ग्रेड–2 (टंकक सहित) द्वितीय श्रेणी लिपिक/प्रधान लिपिक श्रेणी–4	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	कनिष्ठ लिपिक	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2000
2	लिपिक ग्रेड–1/ प्रथम श्रेणी लिपिक/ जन्म– मृत्यु लिपिक/ टंकक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2000	वरिष्ठ लिपिक	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400
3	अनुभागीय/विभागीय प्रधान लिपिक/प्रधान लिपिक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800

4	कार्यालय अधीक्षक	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	कार्यालय अधीक्षक	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200

निकायों के उपर्युक्त लिपिकीय ढ़ॉचे में प्रथम स्तर के 80 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय और अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण–पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कमशः कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों।

15 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों, से भरा जाय।

05 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों, से भरा जाय।

निकायों के उपर्युक्त लिपिकीय ढ़ॉचे के शेष द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तर के पदों को भरने की वर्तमान व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाय।

(ब) जिला पंचायत के लिपिकीय संवर्ग के पदों का उपरोक्तानुसार पुनर्गठन का लाभ इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराये जायें कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय/संस्था का होगा।

(7) आशुलिपिक संवर्ग

जिला पंचायतों में प्रत्येक को एक अलग इकाई मानते हुए इनमें उपलब्ध आशुलिपिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन, राजकीय विभागों के लिये शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2056/दस–54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर 2010 की व्यवस्था के सादृश्य करते हुए पदों के पदनाम, वेतनमान, भर्ती हेतु अर्हता एवं संवर्गीय ढ़ॉचा इस प्रतिबन्ध के अधीन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे।

(8) कम्प्यूटर (ई0डी0पी0) संवर्ग

(i) नगर निगमों मे विभिन्न पदनाम से ई0डी0पी0 संवर्ग में विद्यमान पदों के लिये भर्ती हेतु अर्हता, भर्ती की विधि, भर्ती के स्रोत एवं वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन, राजकीय विभागों के ई0डी0पी0 संवर्ग के सादृश्य पर

निर्धारित करते हुए वर्तमान पदधारकों को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार समायोजित किया जायें :–

क0 सं0	पूर्व पदनाम एवं वेतनमान	सामान्य ढ़ाँचें के पदनाम व वेतनमान	
		पदनाम	पुनरीक्षित वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कम्प्यूटर आपरेटर वेतनमान रू0 3050–4590 के पद।	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400
2	कम्प्यूटर आपरेटर/कन्सोल आपरेटर वेतनमान रू0 4000–6000 के पद।	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800
3	सहायक प्रोग्रामर वेतनमान रू0 4500–7000 तथा कम्प्यूटर आपरेटर/कम्प्यूटर प्रोग्रामर वेतनमान रू0 5000–8000 के पद।	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200

(ii) उपरोक्तानुसार पदनामित किये गये कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, बी, एवं सी के पदों के लिये निम्नानुसार अर्हता एवं भर्ती का स्रोत तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जायें:–

क0 सं0	पदनाम	शैक्षिक एवं प्राविधिक अर्हता	भर्ती की विधि	पुनरीक्षित वेतन रचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
1	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	(1) मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान मं डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट या डी0ओ0ई0 'ओ' स्तर प्रमाण पत्र के साथ इण्टरमीडिएट। (2) डास/यूनिक्स/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एम0एस0 आफिस/लोटस/ स्मार्टसूट आदि जैसे भिन्न भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान तथा किसी नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्सपोजर। (3)हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति।	सीधी भर्ती–विभागीय चयन समिति के माध्यम से।	वेतन बैण्ड–1 5200–20200	2400

2	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी	—	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के पद पर 6 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों में से पदोन्नति द्वारा।	वेतन बैण्ड–1 5200–20200	2800
3	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी	—	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी के पद पर 6 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों में से पदोन्नति द्वारा।	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4200

नगर निगमों के अतिरिक्त जिला पंचायतों में उपर्युक्त उप प्रस्तर–(i) की तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित वेतनमान में पद उपलब्ध होंने की स्थिति में उन्हें तालिका के स्तम्भ–3 व 4 के अनुसार पदनामित/ समायोजित करते हुए उप प्रस्तर–(ii) के अनुसार अर्हता एवं भर्ती की विधि निर्धारित की जाय।

(iii) निकायों में प्रोग्रामिंग स्तर के कार्यों की कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत उच्च ग्रेड वेतन के पदों की आवश्यकता होने पर प्रोग्रामर श्रेणी के पदों से अपेक्षित कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेन्सी के द्वारा कराये जायें।

(iv) उपरोक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेगा और इस हेतु राज्य सरकार से कोई धनराशि की मॉग नही की जायेगी।

(9) नर्सिग संवर्ग

(i) जिला परिषदों द्वारा संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों की उपयोगिता का परीक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाय तथा अनुपयोगी पाये जाने पर इन्हें समाप्त कर दिया जाय।

(ii) जिला परिषदों में विद्यमान नर्सिंग संवर्ग के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय। भविष्य में नर्सिंग संवर्ग के पदधारकों की कार्यात्मक आवश्यकता होने पर चिकित्सकों की भॉति चिकित्सा विभाग के नर्सिंग संवर्ग से पदधारक तैनात किये जाये।

(iii) जिला परिषदों के चिकित्सालयों के सिस्टर/नर्स के ऐसे पदधारक जिनकी अर्हता राजकीय चिकित्सालयों में नर्सिंग संवर्ग के प्रथम स्तर के पद(स्टाफ नर्स) के समान है उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– वैयक्तिक रूप से तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाला अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित निकाय/संस्था

द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा और इस हेतु राज्य सरकार से कोई अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी। उक्त निकायों के नर्सिंग संवर्ग के सिस्टर/ नर्स के शेष पदधारक, जो चिकित्सा विभाग के नर्सिंग संवर्ग के प्रथम स्तर के पद स्टाफ नर्स की अर्हता नहीं रखते हैं, वर्तमान में प्राप्त कर रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में यथावत् बने रहेंगे।

(10) फार्मासिस्ट (भेषजिक) संवर्ग

(i) जिला पंचायतों द्वारा संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों तथा पशु चिकित्सा केन्द्रों की उपयोगिता का पुनरावलोकन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाय तथा अनुपयोगी पाये जाने पर इन्हें समाप्त कर दिया जाय।

(ii) जिला परिषदों द्वारा संचालित अस्पतालों में विद्यमान फार्मासिस्ट के एकल पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय। भविष्य में फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारकों की कार्यात्मक आवश्यकता होने पर चिकित्सकों की भॉति चिकित्सा/पशुपालन विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग से पदधारक तैनात कराये जाय।

(iii) जिला परिषदों के चिकित्सालयों के फार्मासिस्ट (भेषजिक) संवर्ग के ऐसे पदधारक जिनकी अर्हता राजकीय विभागों में कार्यरत फार्मासिस्ट (भेषजिक) संवर्ग के समान है उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– वैयक्तिक रूप से तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाला अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्था द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा और इस हेतु राज्य सरकार से कोई अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी। फार्मासिस्ट (भेषजिक) संवर्ग के शेष पदधारक वर्तमान में प्राप्त कर रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में यथावत् बने रहेंगे।

(11) अनुरेखक (ट्रेसर) तथा मानचित्रकार संवर्ग

(i) जिला पंचायतों में कम्प्यूटर की उपलब्धता होने एवं रेखांकन सम्बन्धी कार्य कम्प्यूटर से कराये जाने की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज विभाग द्वारा विभागीय समिति का गठन कर अनुरेखक के पदों की उपयोगिता का परीक्षण कराया जाय। अनुपयोगी पाये जाने पर इन पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय।

अनुरेखक के पदों की उपयोगिता वर्तमान परिवेश में पाये जाने की स्थिति में इन पदों के लिये सीधी भर्ती की अर्हता राजकीय विभागों के अनुरेखक पद के समान "हाईस्कूल और आई0टी0आई0 (सिविल) प्रमाण पत्र" की अर्हता निर्धारित करते हुए इन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 में रखा जाय।

(ii) उक्त संस्थाओं के मानचित्रकार के पदों पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता

के स्थान पर राजकीय विभागों के समान अर्हता (राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मानचित्रकार का प्रमाण पत्र अथवा राज्य कला महाविद्यालय लखनऊ से वास्तुविद् सहायक का तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद/मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियन्त्रण का 03 वर्षीय डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रदत्त मानचित्रकारी का प्रमाण पत्र) निर्धारित करते हुए वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 में ग्रेड वेतन रू0 2800 तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी।

(iii) उक्त संस्थाओं के कम्प्यूटर पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। ऐसी संस्थाये जहां पर इस पद हेतु अर्हता उपर्युक्त से भिन्न निर्धारित है, भविष्य में अभियन्त्रण में 03वर्षीय डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित की जाय।

(12) विधि सहायक/विधि अधिकारी संवर्ग

विधि अधिकारी के पदों को संविलीन कर पदनाम विधि अधिकारी रखा जाय तथा वर्तमान में इन पदों के लिये भर्ती हेतु निर्धारित व्यवस्था/अर्हता के स्थान पर भविष्य में इन पदों को निम्न अर्हताधारियों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी :–

(i) विधि स्नातक।

(ii) बार कौंसिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त सम्बन्धित बार कौंसिल अथवा सम्बद्ध बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन एवं बार कौंसिल/बार एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त/प्रमाणित दो वर्ष की प्रैक्टिस के अनुभव का प्रमाण पत्र।

(13) सामान्य कोटि के अन्य पद/संवर्ग

जिला पंचायतों में यदि सामान्य कोटि के फोटोग्राफर संवर्ग, कलाकार संवर्ग, तकनीशियन संवर्ग, सॉख्यिकीय संवर्ग, फिजियोथेरेपिस्ट/आकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, आहार विशेषज्ञ संवर्ग, जन विश्लेषक संवर्ग, मनोवैज्ञानिक संवर्ग, समाजशास्त्री संवर्ग, प्रकाशन संवर्ग, टेलीफोन आपरेटर संवर्ग तथा ऊर्दू अनुवादक संवर्ग के पद उपलब्ध हों तो उनके सम्बन्ध में राजकीय विभागों के लिये उपलब्ध व्यवस्था के आलोक में परीक्षण कर प्रशासकीय विभाग द्वारा

वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय लिया जाय।

2– पूर्व प्रस्तर में उल्लिखित निर्णय के अनुसार वेतनमान आदि लागू करने हेतु सम्बन्धित निकाय के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग द्वारा वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन (भाग–1) में की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित संकल्प संख्या–वे0आ0–2–251/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 07 फरवरी, 2009 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–10 तथा 11 में व्ययभार वहन करने के सम्बन्ध में उपलब्ध व्यवस्था जो निम्नवत् है, के आलोक में परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाय :—

उप प्रस्तर–10 :—

नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों के कर्मचारियों/अधिकारियों अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं तथा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय–भार को वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित निकाय/संस्था का ही होगा।

उप प्रस्तर–11 :—

राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों को संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अपने स्रोतों से हुई आय की धनराशि से सम्बन्धित निकाय अपनी अन्य विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने स्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जायेगा।

3– कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने हेतु पूर्व प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार परीक्षण करते हुए अपेक्षित प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–306 बी (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।